The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 7 | July 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

# भारत में राजनीतिक सुधार की संभावनाएं: एक देश और एक चुनाव

**डॉ. कमलेश कुमार टांक**
अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
उदयपुर (राजस्थान)

**ARTICLE DETAILS**

**Research Paper**

**Keywords:**

*भारत, चुनाव सुधार, एक देश-एक चुनाव, राजनीतिक दल।*

**ABSTRACT**

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले विभिन्न चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं जो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने एक वैचारिक उपक्रम है। हाल ही में भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने के मसले पर गंभीर वाद-विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। परन्तु भारत के अधिकतर राजनीतिक दलों ने इसका अनेक कारणों से विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है अतः जब तक इस मुद्दे पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे लागू करना संभव नहीं होगा। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं मुद्दों को रेखांकित करते हुए

भारत में एक देश, एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करते हुए इससे उत्पन्न चुनौतियों पर गंभीर विचार करने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र मुख्यतया द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

## पृष्ठभूमि:

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि भारत में 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं।

एक तरफ जहाँ कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

## एक देश, एक चुनाव का अर्थ:

भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170 वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया है कि, "प्रत्येक वर्ष और

बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं। यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के विनिश्चय के पश्चात् सारवान् रूप से कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधान सभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम नियम यह होना चाहिए कि 'लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन' ।"

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 'लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामलें की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है। अतः अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है, भारत सरकार द्वारा निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

**एक देश, एक चुनाव पर गठित समिति:**

हाल ही में, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के

साथ-साथ नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई हैं। 191 दिनों में तैयार 18,626 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार इस समिति के साथ साझा किए थे जिनमें से 32 राजनीतिक दल 'वन नेशन वन इलेक्शन' के समर्थन में थे।

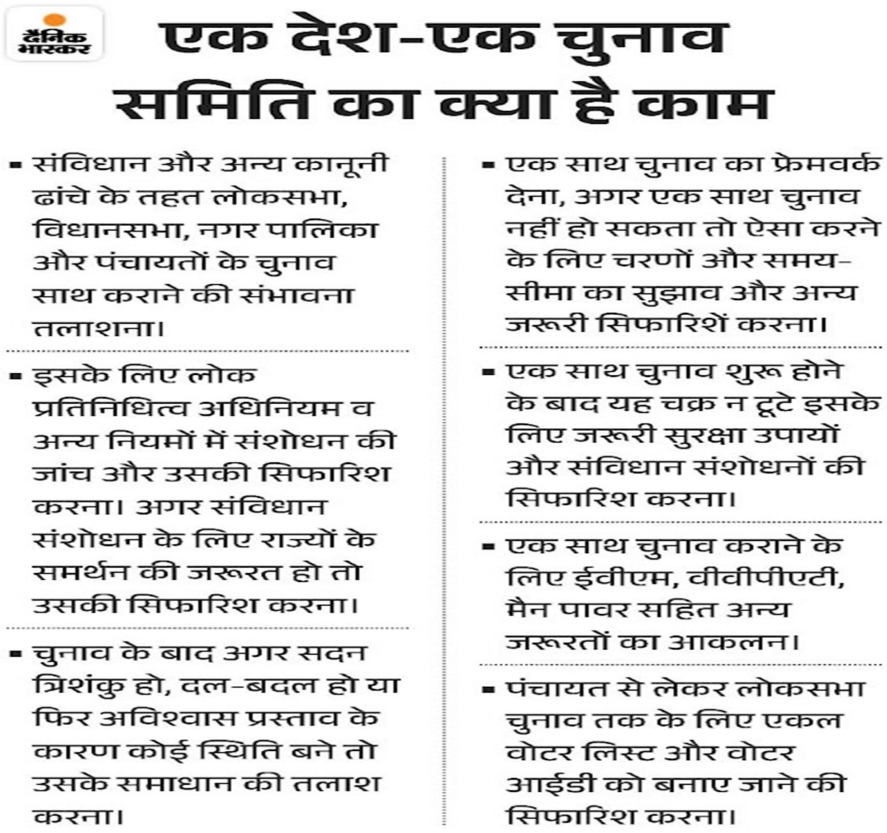


**स्रोत:** दैनिक भास्कर

इस रिपोर्ट में कहा गया है, "केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने न केवल साथ-साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की ज़ोरदार वकालत की।" रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' का विरोध करने वालों की दलील है कि "इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों

को अलग-अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा और यह व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगी।"

इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ़ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर क़ानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. नितेन चंद्रा समिति में शामिल थे।

**समिति की प्रमुख सिफारिशें:**

आजादी के बाद पहले दो दशकों तक साथ में चुनाव न कराने का नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर पड़ा है। पहले हर दस साल में दो चुनाव होते थे, अब हर साल कई चुनाव होने लगे हैं इसलिए सरकार को साथ-साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए क़ानूनी रूप से तंत्र बनाना करना चाहिए।

चुनाव दो चरणों में कराए जाएं पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह समन्वित किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के सौ दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए।

इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में ज़रूरी संशोधन किए जाएं इसे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए।

समिति की सिफ़ारिश के अनुसार त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस स्थिति में नए लोकसभा (या विधानसभा) का

कार्यकाल, पहले की लोकसभा (या विधानसभा) की बाकी बची अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद सदन को भंग माना जाएगा। इन चुनावों को 'मध्यावधि चुनाव' कहा जाएगा। वहीं पांच साल के कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद होने वाले चुनावों को 'आम चुनाव' कहा जाएगा।

**संविधान में संशोधन:**

वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है जिसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। जस्टिस (रिटायर्ड) रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के पांच अनुच्छेदों में संशोधन करना आवश्यक है:-

- अनुच्छेद-83:- यह संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है।
- अनुच्छेद-172:- यह राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है।
- अनुच्छेद-8:- यह राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा है।
- अनुच्छेद-174:- यह राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा है।
- अनुच्छेद-356:- यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, दलबदल से संबंधित प्रावधानों के आधार पर संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से जुडी संविधान की दसवीं अनुसूची में भी आवश्यक संशोधन करने होंगे। संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल

होंगे। यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश करेगा। यदि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो कानूनी पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला फेल होने के बाद नए चुनावों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सरकार के पास अभी भी तीन साल हैं, तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव बचे हुए कार्यकाल अर्थात तीन साल के लिए होंगे।

एक देश-एक चुनाव' का फॉर्मूला लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में चुनाव हुए हैं। इसलिए इन विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा-लोकसभा चुनाव होंगे।

**एक देश एक चुनाव के समर्थन में तर्क:**

एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है| इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिये बनाया गया है।

आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की

विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार-बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक स्थिति  के लिये उचित नहीं है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिये जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह गौरतलब है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किन्तु राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है जाता है,जिसके कारण अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं| एक साथ चुनाव कराये जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है।

इसके पक्ष में चौथा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पायेंगे। इन चुनावों के दौरान शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका दैनिक कार्य भी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, निर्बाध चुनाव कराने के लिये भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा बार-बार होने वाले चुनावों से आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है।

**एक देश एक चुनाव के विपक्ष में तर्क:**

एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएँ पाँच वर्षों के लिये चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य राज्य बना सकती है, जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पाँच वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहाँ फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियाँ एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।

एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढाँचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय ढाँचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है। एक देश एक चुनाव के विरोध में तीसरा तर्क यह है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो यह संभावना ज्यादा है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। दरअसल लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे

बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव जहाँ राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिये होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिये होते हैं इसलिए लोकसभा में जहाँ राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दे हावी रहते हैं।

इसके विरोध में चौथा तर्क यह है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के कारण अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो सरकार के निरंकुश होने की आशंका बढ़ जाएगी।

एक देश एक चुनाव के विपक्ष में पाँचवा तर्क यह दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीत नहीं होता है।

**एक देश, एक चुनाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ**:

**व्यवहार्यता की समस्या:** संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 क्रमशः उपबंध करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पाँच वर्ष के होंगे, यदि उन्हें इससे पूर्व विघटित नहीं कर दिया जाता। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं (अनुच्छेद 356 में वर्णित परिस्थितियाँ) जहाँ विधानसभाओं को उनके कार्यकाल से पूर्व ही विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार, एक देश, एक चुनाव से कुछ गंभीर प्रश्न संलग्न हैं, जैसे: यदि केंद्र या राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही

गिर जाती है तो क्या होगा? इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा या राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होगा?

**लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ:** यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा के संदर्भ में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ पेश करेगा। निर्वाचन आयोग को इतनी बड़ी कवायद के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

**संघवाद के विचार के विरुद्ध:** एक देश, एक चुनाव का विचार 'संघवाद' की अवधारणा और भावना से मेल नहीं खाता है क्योंकि यह इस धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र 'एक' है, जो कि अनुच्छेद 1 के उपबंध का खंडन करता है जहाँ भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में देखा गया है।

**विधिक चुनौतियाँ:** न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं हैं। इसमें कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने के लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी। आयोग ने इसके लिये कम-से-कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी अनुशंसा की थी, जो सरल कार्य नहीं है।

**क्षेत्रीय हितों पर पर आंच:** बार-बार होने वाले चुनावों के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में लाभप्रद स्थिति के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह मतदाताओं को उनकी आवाज़ को बारंबार सुने जाने का अवसर देता है। चूँकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिये वर्तमान ढाँचा मुद्दों के मिश्रण को रोकता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आईडीएफसी इंस्टिट्यूट (IDFC Institute) द्वारा वर्ष 2015 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ चुनाव कराने पर इस बात की 77% संभावना बनेगी कि विजित राजनीतिक दल या

गठबंधन लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा दोनों में जीत दर्ज करेंगे। यह प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांग और आवश्यकताओं को क्षीण करेगी।

**लागत-प्रभावी नहीं होने की संभावना:** निर्वाचन आयोग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि पाँच वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित करने की लागत 10 रुपए प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराये जाने पर यह लागत 5 रुपए प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी।

एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लिये बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की तैनाती की आवश्यकता होगी जिससे अल्पावधि में आरंभिक लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार, प्रति वर्ष में प्रति मतदाता 5 रुपए की बचत करने के लिये संविधान में संशोधन करना बहुत अच्छा विचार नहीं माना जा सकता है।

चुनावी व्यय अनिवार्य रूप से नकारात्मक स्थिति नहीं: आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनावी खर्च वास्तव में निजी खपत को बढ़ावा देकर और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर अर्थव्यवस्था और सरकार के कर राजस्व को लाभ पहुँचाता है।

**संभावनाएं:**

- एक साथ चुनाव की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण किया जाना चाहिये। यह विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से किया जा सकता है।
- एक साथ चुनाव आयोजन को संभव करने के लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम में संशोधन करना होगा। इसके लिये संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

- एक साथ चुनाव कराने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, मतदान केंद्र, सुरक्षा कर्मी आदि में निवेश करना होगा।
- लोकसभा और राज्य विधानसभावों के चुनावी चक्रों को संरेखित करने के लिये एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा।
- अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभाओं का समयपूर्व विघटन, त्रिशंकु संसद आदि स्थितियों से निपटने के लिये एक विधिक ढाँचा स्थापित करना होगा। इसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सकता है ताकि यदि किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो अगले चक्र में उस राज्य के लिये पुनः चुनाव कराया जा सके।
- एक साथ चुनाव कराने के लाभों और चुनौतियों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे भ्रम या असुविधा के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हों।

**निष्कर्ष:** एक देश, एक चुनाव को भारत में लागू करना अभी भी वाद-विवाद का विषय बना हुआ है और इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है। भारत सरकार को एक देश, एक चुनाव को लागू करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये। उसे अतिरिक्त अध्ययन, आंकड़ों के मूल्यांकन और इस अवधारणा को लागू करने के तरीके पर मतदाताओं, विपक्षी दल के नेताओं एवं स्थानीय दलों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करके आम राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, सम्पूर्ण देश के मतदाताओं को यह तय करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि 'एक देश, एक चुनाव लागू करने की वास्तविक रूप में आवश्यकता है या नहीं। हालांकि इसे लागू करने से चुनावों के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्च में कमी आएगी परन्तु इसे लागू करने की अनेक व्यावहारिक समस्याएं भी हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची:**

1. अनूप बरनवाल. (2022). एक देश एक चुनाव: भारत में राजनीतिक सुधार की संभावनाएं. दिल्ली: अंजुमन प्रकाशन.

2. डी. डी. बसु. (2011). भारत का संविधान: एक परिचय. दिल्ली: लैक्सिस नैक्सिस.

3. अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी. (2022). भारत में राजनीतिक प्रक्रिया. दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान.

4. रत्नाकर बाबु राव लक्षते. (2020). एक राष्ट्र एक चुनाव. आयुषी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, इश्यू-07, वॉल्यूम-07, जुलाई, पेज 65-68.

5. 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, दैनिक भास्कर, 20 मार्च, 2024.

6. दीपक रस्तोगी एक देश एक चुनाव पूर्ण सहमति से ही बनेगी बात, जनसत्ता, 25 जून, 2019.

7. अनिल कुमार, देश में सभी चुनाव क्यों एक साथ होने चाहिए? एक राष्ट्र, एक चुनाव में कहां फंस रहा पेंच, नवभारत टाईम्स, 24 अप्रेल, 2023.

8.https://oneindiaonepeople.com/onenation-one-election/

9.https://www.2thepoint.in/possibility-ofone-nation-one-election/

10.https://zeenews.india.com/india/bjps-pushfor-one-nation-one-polls-is-a-gimmickcongress-2077288.html

11. https://www.indiafoundation.in/symposiu

12. m-on-one-nation-one-election-2/

13.https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-onepoll-needs-many-legislation-cec-oprawat/articleshow/62628484.cms

14.https://www.uniindia.com/call-for-onenation-one-election-is-also-jumlachidambaram/india/news/1122724.ht

15. https://onoe.gov.in/